



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

06.2016

PM/VI/2016-17/OG-GO/

To

The Director of Treasuries and Accounts
Andhra Pradesh
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 125% from 01.01.2016 To pensioners and family
pensioners of Bihar Govt.

Ref: 1. Govt of Bihar No 3A-3-PR/DR/08-2013-3575/FV dt
03.05.2016.

I am to enclose herewith a copy of Govt. order issued by the Bihar Govt. in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully


Sr.Accounts Officer

Copy to

1. The Asst Director
HQR Treasury
Tilak Road, Abids
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 03/05/2016

विषय:-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-7922/वि० दिनांक- 09/09/2015 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/1/2016-E-II (B) दिनांक-07/04/2016 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ता की दर को 119 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर महंगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
- (iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।
- (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बड़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/01/2016 से भुगतेय है और इसका भुगतान मई, 2016 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जून, 2016 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013- 3575/वि० पटना, दिनांक:-03/05/2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013- 3575/वि० पटना, दिनांक:-03/05/2016

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013- 3575/वि० पटना, दिनांक:-03/05/2016

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महंगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013- 3575/वि० पटना, दिनांक:-03/05/2016

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।